



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं०-21/2019

मो० सावित्री वगै०

बनाम्

शिव नारायण ठाकुर वगै०

—: आदेश :—

दिनांक

01/09/19

आवेदिका वर्तमान वाद में कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रह रही है। अंतिम नोटिश देने के बावजूद भी आवेदिका न्यायालय में अनुपस्थित रही। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदिका को वर्तमान वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है।

अतः आवेदिका के अभिरुचि के अभाव में वर्तमान वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

01/09/19

01/09/19

उपायुक्त,
गोड्डा।